## -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 27.07.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

## ❖ बबेरू पुलिस द्वारा फर्जी कॉल कर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने वाले युवक को किया गया गिरफ्तार।

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.07.2025 को थाना बबेरू पुलिस द्वारा फर्जी कॉल कर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 20.06.2025 थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम पतवन के रहने वाले विकास पुत्र जगतनारायण द्वारा डायल 112 पर फर्जी कॉल करके सूचना दी कि ग्राम मुरवल व अलीहा के मध्य दो बसों की आपस में भिड़ंत हो गई जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु तथा दो घायल हो गए। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पीआरवी (डायल 112), स्थानीय थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं 108 एम्बुलेंस टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि ऐसी कोई भी सड़क दुर्घटना नहीं हुई थी। जांच में ज्ञात हुआ कि युवक द्वारा जानबूझकर गलत सूचना देकर सरकारी संसाधनों का फर्जी उपयोग किया गया। जिसमें थाना बबेरू पर विकास के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 27.07.2025 को मुखबिर की सूचना अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय उपजिलाधिकारी समक्ष पेश किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. विकास पुत्र जगतनारायण निवासी ग्राम पतवन थाना बबेरू जनपद बांदा।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार
2. कां0 इन्द्रजीत

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 242/25 धारा 212(ए) बीएनएस थाना बबेरू जनपद बांदा।

**पुलिस प्रशासन की सख्त चेतावनी**

इस प्रकार की फर्जी कॉल या सूचना देना कानूनन अपराध है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है। आमजन से अपील है कि डायल 112 एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं का दुरुपयोग न करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।